सत्यमेव जयते
Web Copy - Not ...

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:— **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या: **344 / 2018** दायर दिनॉक **22.10.2018**

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. हुक्माराम पुत्र भैराराम 2. भींवाराम पुत्र भैराराम 3. चुनाराम पुत्र भैराराम समस्त जाति जाट निवासीगण मौलासर तहसील—डीडवाना जिला—नागौर राजस्थान	बनाम्	1. तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा— 88, R.T.Act.

उपस्थित:—

1. श्री दुर्जाराम पुनियां वकील वादीगण।

—:: निर्णय ::—

दिनॉक **30.01.2019**

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि, वादीगण की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा सं0 186 रकबा 41 बीघा, खसरा सं0 195 रकबा 06 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 1308 / 195 रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा कुल रकबा 63 बीघा वाके सरहद मौलासर में अवस्थित है। जिसकी वर्तमान में खातेदारी वादीगण के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। वादीगण के खेत खसरा सं0 186 व 1308 / 195 के पास से होकर एक रास्ता जो नजरी नक्शा में दर्शित मार्क ए बी सी डी ई एफ शुरू से लेकर आज तक बहता आया है जो कदिमी है। जिसके खसरा संख्या 1307 / 195 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा है तथा मौके पर रास्ता वर्षो पुराना जमा हुआ है तथा वर्तमान में चालु हालत में है तथा इस रास्ता से खेतों वालों का आना जाना गाडी, छकडा, टैक्टर आदि लाते ले जाते रहे है तथा यह रास्ता 20 फुट चौडा है तथा आवागमन के लिए उचित है। जो कि राजस्व रेकर्ड में दर्ज है जबकि राजस्व रेकर्ड में दर्शित रास्ता मार्क बी एफ कभी भी मौके पर मौजुद नहीं रहा और न वर्तमान में मौजुद है। वादीगण ने अपने वाद के साथ नजरी नक्शा पेश किया है जो वाद का भाग है।

नजरी नक्शा में प्रदर्शित रास्ता बी से एफ जो राजस्व रेकर्ड में अंकित होने के आधार पर अस्तित्व में रहता है तो खेत के तीन टुकडे हो जावेगें और फसल करने में भारी कठिनाई होगी तथा दो रास्तों के कारण जमीन बर्बाद हो

...क कलेक्टर
...ना (नागौर)

Scanned by CamScanner

जावेगी। वादीगण के उक्त खसरा नम्बर 186 व 1308/195 में दो रास्ते राजस्व रेकर्ड में दर्शित हो रखे है तथा खसरा नम्बर 1308/195 में नजरी नक्शा में दर्शित मार्क बी से एफ रास्ते के रूप में 01 बीघा 12 बिस्वा जमीन वेस्ट हो कर वादीगण की खातेदारी की जमीन से कम हो रही है जबकि मौके पर नजरी नक्शा में दर्शित मार्क बी से एफ का कोई अस्तित्व भी नहीं है। जबकि मौके पर नजरी नक्शा में दर्शित मार्क बी सी डी ई एफ सुचारू रूप से चालु है तथा वादीगण व अन्य ग्रामवासियों के आवागमन के रूप में शुरू से ही काम लिया जा रहा है।

खसरा नं0 186 व 1308/195 में से जो राजस्व रेकर्ड में दर्ज रास्ता जो नजरी नक्शा में दर्शित मार्क बी एफ को राजस्व रेकर्ड से हटाया जाकर उसको शून्य घोषित किया जावें। इसलिए दावा बाबत रिकार्ड दुरूस्ती व घोषणा खातेदारी का पेश करना लाजमी आया है। वादीगण की खातेदारी में खेत खसरा सं0 186 व 1308/195 में से राजस्व रिकार्ड में दो दो रास्ते अंकित हो रखे है जबकि कदीमी से लेकर आज तक नजरी नक्शा में दर्शित मार्क बी सी डी ई एफ रास्ता ही मौके पर चालू है जबकि नजरी नक्शा दर्शित रास्ता मार्क बी एफ का कभी भी कोई अस्तित्व ही नहीं रहा है। इसके बावजुद भी राजस्व रेकर्ड में वादीगण के उक्त खसरा नम्बरान की भूमि में बी एफ रास्ता अंकित होने से वादीगण को भारी अजहद नुकसान हो रहा है जिसकी क्षतिपूर्ति नकदी से संभव नहीं है। इसलिए यह वाद पेश करना लाजमी आया है।

प्रार्थना वादीगण है कि वाके सरहद मौलासर के खेत खसरा सं0 186 रकबा 41 बीघा व खसरा सं0 1308/195 रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा में से नजरी नक्शा में वर्णित मार्क बी से एफ को राजस्व रिकार्ड से हटाकर शून्य घोषित किया जाकर इस रास्ते की भूमि रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा को वादीगण के खेत खसरा सं0 1308/195 में सम्मिलित करते हुए वादीगण की खातेदारी घोषित की जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 के बावजूद तामील के न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में नकल खतोनी संवत 2072–75, ट्रेस नक्शा व नजरी नक्शा पेश किये।

विद्वान वकील वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

वाद का किसी पक्षकार द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया है। ऐसी सूरत में वादीगण का दावा डिक्री किया जाना, अदालत को उचित प्रतीत होता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व--वाद, संख्या 344/2018
दायर दिनाँक 22.10.2018 निर्णय दिनाँक 30.01.2019
हुक्माराम बनाम तहसीलदार वगैरा।

अतः, बाद विवेचन, वाद वादी, डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्व दावा डिक्री सादिर कर वाके सरहद मौलासर के खेत खसरा सं0 186 रकबा 41 बीघा व खसरा सं0 1308/195 रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा में से नजरी नक्शा में वर्णित मार्क बी से एफ को राजस्व रिकार्ड से हटाकर शून्य घोषित किया जाता है तथा इस रास्ते की भूमि रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा को वादीगण के खेत खसरा सं0 1308/195 में सम्मिलित करते हुए वादीगण की खातेदारी घोषित की जाती है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक 30.01.2019 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

दिनांक:- 15/2/19

नोट:- मार्क A से F का रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा के स्थान पर 15 बिस्वा घोषित किया जाता है तथा मार्क BCDEF शून्य में रकबा घोषित हो चुका है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत:– सहायक कलक्टर, डीडवाना

बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 344/2018 दायर दिनाँक 22.10.2018

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. हुक्माराम पुत्र भैराराम 2. भींवाराम पुत्र भैराराम 3. चुनाराम पुत्र भैराराम समस्त जाति जाट निवासीगण मौलासर तहसील–डीडवाना जिला–नागौर राजस्थान	बनाम	1. तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, व रेकर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा– 88, R.T.Act.

दिनाँक 30.01.2019

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री दुर्जाराम पूनियां वकील वादीगण की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री सादिर कर वाके सरहद मौलासर के खेत खसरा सं0 186 रकबा 41 बीघा व खसरा सं0 1308/195 रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा में से नजरी नक्शा में वर्णित मार्क बी से एफ को राजस्व रिकार्ड से हटाकर शून्य घोषित किया जाता है तथा इस रास्ते की भूमि रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा को वादीगण के खेत खसरा सं0 1308/195 में सम्मिलित करते हुए वादीगण की खातेदारी घोषित की जाती है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–.... ....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 30.01.2019 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
दिनांक :- 15/2/19

नोट:- मार्क A से F का रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा के स्थान पर 15 बिस्वा घोषित किया जाता है तथा मार्क BCDEF रास्ते में रास्ता घोषित रहेगा।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner